शिक्षा मंत्री 23 दिसम्बर को सिरमौर प्रवास पर

नाहन । शिक्षा मंत्री, रोहित ठाकुर 23 दिसम्बर को सराहा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धार-टिकरी के नये भवन की आधारशिला रखेंगे। इसके उपरान्त पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों की शिकायतों को भी सुनेगें। यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसी दिन शिक्षा मंत्री नारग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुज्जी के साइंस ब्लॉक भवन का उद्घाटन करने के उपरान्त इस क्षेत्र के लोगों की शिकायतों को भी सुनेगें।

आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को पैरा सर्जिकल तकनीक व पंचकर्मा का दिया गया प्रशिक्षण

मंडी। आयुष विभाग के सौजन्य से जिला मंडी के आयुर्वेदिक चिकित्सकों को पैरा सर्जिकल तथा पंचकर्मा का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आयुर्वेदिक अस्पताल मंडी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का समापन उप निदेशक, आयुष मंडी जोन, डॉ0 आनंदी शैल ने किया। जिला आयुष अधिकारी मंडी डॉ0 राजेश कुमार ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में जिला मंडी के सभी चिकित्सा अधिकारियों को सर्जिकल तकनीक तथा पंचकर्मा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विशेषज्ञ प्रशिक्षक के रूप में डॉ0 प्रमोद पारिक ने विशेषज्ञ योग व स्वास्थ्य वृत का प्रशिक्षण दिया, जबकि डॉ0 विकास द्वारा विशेषज्ञ पंचकर्मा पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त शल्य चिकित्सा की पैरा सर्जिकल तकनीक से पसांगत किया गया तथा मरहम चिकित्सा के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में सभी आयुर्वेदिक चिकित्सकों को विशेषज्ञ जानकारी प्रदान की गई। इससे जिला मंडी के सभी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करवाई जा सकेंगी । यह शिविर न केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के ज्ञान में वृद्धि करेगा, बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के महत्व को भी उजागर करेगा। इस शिविर के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ0 हितेश शर्मा तथा डॉ0 विक्रांत ठाकुर को नोडल ऑफिसर बनाया गया था।

हमीरपुर में वर्धमान ग्रुप की कंपनी के साक्षात्कार 27 को

हमीरपुर । बद्दी स्थित वर्द्धमान टेक्सटाइल्स की इकाई ऑरो टेक्सटाइल्स में वीवर, फेब्रिक चेकर, रिवाइंडर और साइजर के 100 पदों को भरने के लिए 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 18 से 26 वर्ष तक के दसवीं या बारहवीं पास युवा पात्र होंगे। चयनित युवाओं को अप्रेंटिसशिप के दौरान 12 हजार रुपये मासिक वेतन और आवास सुविधा प्रदान की जाएगी। चार माह के बाद इन्हें 13,064 रुपये मासिक वेतन व अन्य सुविधाएं मिलेंगी जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है। भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. की ज़िला स्तरीय त्रैमासिक बैठक आयोजित

सोलन । मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. अमित रंजन तलवार ने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी ज़िला में कार्यान्वित किए जा रहे अल्टासाउंड केन्द्रों का निरीक्षण करना सुनिश्चित बनाएं। डॉ. अमित रंजन तलवार आज यहां गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी.) अधिनियम के तहत ज़िला स्तरीय त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। डॉ. अमित रंजन ने संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को नियमित रूप से ज़िला में चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड केंद्र का संचालन कर रहा है तो नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

बैठक में एम.आर.आई. व अल्ट्रासाउंड स्थापित करने के लिए प्राप्त मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संदीप जैन, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. गगन दीप राजहंस, डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. धर्मेंद्र, जिला अटर्नी चंद्र सागर नेगी सहित गैर सरकारी सदस्य संधीरा सीनू सिंह, सत्या उपस्थित थे।

31 दिसंबर तक ई-केवाईसी करवाएं धनेटा के विद्युत कनेक्शनधारक

नादौन । विद्युत उपमंडल धनेटा के सहायक अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि उपमंडल के जिन कनेक्शनधारकों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उनकी ई-केवाईसी के लिए एक बार फिर विशेष अभियान चलाया गया है तथा विभिन्न पंचायतों के लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं। इन तिथियों की जानकारी के लिए पंचायत प्रधान से भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा क्षेत्र के विद्युत कनेक्शनधारक 31 दिसंबर तक उपमंडल कार्यालय धनेटा में आकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ई-केवाईसी के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली के बिल और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर अनिवार्य है।

'दुग्ध सहकारी सभाओं से जुड़कर अपनी आय बढ़ाएं पशुपालक'

हमीरपुर/नादौन । पशुपालकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाने तथा उन्हें दुग्ध उत्पादन के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित करने हेतु बुधवार 18 दिसंबर को ग्राम पंचायत अमलैहड़ में विशेष सभा आयोजित की गई। पंचायत प्रधान सोनिया की अध्यक्षता में हिम गंगा योजना के तहत आयोजित इस विशेष सभा में क्षेत्र के पशुपालकों को कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर दुग्ध अभिशीतन केंद्र जलाड़ी की अधिकारी सुनीता देवी और शिवानी शर्मा ने पशुपालकों से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन से पशुपालकों को घर में ही अच्छी आय हो सकती है। दुग्ध के सही विपणन के लिए वे स्थानीय स्तर पर दुग्ध सहकारी सभाओं का गठन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। उन्होंने पशुपालकों को सहकारी सभाओं के गठन और संचालन की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दूध के दामों में काफी ज्यादा वृद्धि की है, जिसका सीधा लाभ पशुपालकों को मिलेगा। इसलिए, किसान-बागवान खेती के साथ-साथ पशुपालन से भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

सांस्कृतिक दलों ने बताया राजस्व लोक अदालतों का महत्व

शिमला। प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विशेष प्रचार अभियान के अंतर्गत आज सूचना एवं जन संपर्क विभाग के भगवती सांस्कृतिक मंडल शंठा के कलाकारों द्वारा शवाला व चड़ोली, जयश्वरी लोक नृत्य कला मंच के कलाकारों द्वारा आज देवरा व बड़ा गांव, वन्दना कला रंगमंच के कलाकारों द्वारा डूबलू व जनेड़ घाट, हिमाचल कला मंच सरोग के कलाकारों द्वारा चयोग व बलग, शिव कल्चरल ट्रुप हलोग (धामी) के कलाकारों द्वारा भराड़ी व जस्सी शिवरंजनी कला मंच के कलाकारों द्वारा छेला व गुम्मा, स्वर साधना कला मंच के कलाकारों द्वारा कोटी व कुफरी, पूजा कला मंच शगीन के कलाकारों द्वारा ठाकुरद्वारा व सेरी में लोगों को नुक्कड़ नाटक व गीत संगीत के माध्यम से जागरूक किया गया।

कलाकारों ने बताया कि प्रदेश में पहली बार तहसील और उप-तहसील स्तर पर विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंतकाल, तकसीम, निशानदेही और दुरूस्ती आदि मामलों का निपटारा किया जा रहा है। कलाकारों ने नशे के दुष्प्रभावों और इससे बचाव के बारे में भी जानकारी दी। कलाकारों ने लोगों को हिम समाचार ऐप की जानकारी भी प्रदान की।

इस अवसर पर चयोग के प्रधान दिनेश जोगता व शवाला ग्राम पंचायत चड़ोली के प्रधान लोकेन्द्र शर्मा, ठाकुरद्वारा की प्रधान चंद्रकांता, सेरी के प्रधान मोहनलाल ठाकुर, देवरा की प्रधान आशा, बड़ागांव के प्रधान सोहन लाल वर्मा, छेला में व्यापार मंडल के प्रधान राकेश शर्मा, गुम्मा के प्रधान राजेन्द्र कुमार व बलग की प्रधान मिनाक्षी शर्मा, ग्राम पंचायत कोटी के प्रधान रमेश शर्मा व काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने जिला हमीरपुर के अधिकारियों के साथ की बैठक

पंचायत चुनाव में क्यूआर कोड से होगी मतदान पेटियों की स्कैनिंग एवं ट्रैकिंग

हमीरपुर । वर्ष 2025-26 में संभावित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से आवश्यक तैयारियों के संबंध में वीरवार को राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने यहां हमीर भवन में जिला हमीरपुर के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर अनिल खाची ने कहा कि अभी इन चुनावों के लिए काफी ज्यादा समय है, लेकिन इनकी प्रक्रिया के संबंध में सभी संबंधित अधिकारी अपडेट रहेंगे और इनके लिए आवश्यक प्रबंध करेंगे तो चुनाव के समय उन्हें कोई भी दिक्कत सामने नहीं आएगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू ढंग से तथा किसी भी तरह के अनावश्यक विवाद के बगैर संपन्न करवाया जा सकेगा।

अनिल खाची ने कहा कि संबंधित अधिकारी जिला में मतदान पेटियों की उपलब्धता, इनकी मरम्मत, पेंटिंग एवं आइलिंग-ग्रीसिंग और स्टोरेज इत्यादि की समीक्षा करके आयोग को इसकी रिपोर्ट प्रेषित करें। उन्होंने बताया कि इस बार हर मतदान पेटी पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इससे इनकी स्कैनिंग और ऐप के माध्यम से ट्रैकिंग की जा सकेगी। चुनाव सामग्री और स्टेशनरी के सामान इत्यादि का आवंटन भी इनवेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए, सभी तरह की सामग्री का पूरा रिकॉर्ड रखें, पुरानी अनावश्यक एवं आउटडेटड सामग्री को नियमानुसार डिस्पोज करवाएं और पूरे स्टॉक के आकलन के बाद ही डिमांड भेजें।

राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पंचायतों के पुनर्गठन, डिलिमिटेशन, वार्डबंदी, आरक्षण और मतदाता सूचियों में पंजीकरण के समय आयोग के दिशा-निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना होनी चाहिए। इनके ड्राफ्ट के प्रकाशन की सूचना का आम लोगों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए, ताकि लोग अपने दावे या आपत्तियां दर्ज करवा सकें और चुनाव के समय अनावश्यक याचिकाओं से बचा जा सके। इसके लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और नोटिस बोर्ड के अलावा लाउड स्पीकरों एवं अन्य पारंपरिक साधनों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इन प्रचार गतिविधियों का पूरा रिकॉर्ड भी रखें।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियां इलेक्टोरल रोल्स मैनेजमेंट सिस्टम (ईआरएमएस) के माध्यम से तैयार की जाएंगी। मतदाता सूचियों और निर्वाचन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इस चुनाव के लिए बैलेट पेपर तैयार करना अपने आपमें बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। बैलेट पेपर तैयार करते समय अत्यंत सावधानी बरती जानी चाहिए। राज्य चुनाव आयुक्त ने निर्वाचन से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए।

बैठक में राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी संजीव महाजन ने निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रबंधों की विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर उपायुक्त अमरजीत सिंह ने राज्य चुनाव आयुक्त और आयोग के अन्य अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिला में आयोग की ओर जारी सभी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में एडीएम राहुल चौहान, सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, पंचायतीराज विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए आरंभ की हैं योजनाएं

- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबद्ध लोक कलाकारों ने दी जानकारी

हमीरपुर । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं आरंभ की हैं। इन योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने फोक मीडिया के माध्यम से व्यापक जागरुकता एवं प्रचार अभियान चलाया है। इसी अभियान के तहत वीरवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबद्ध नटराज कला मंच के लोक कलाकारों ने नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत कश्मीर के गांव तेहली और ग्राम पंचायत सरेड़ी के गांव सरेड़ी में जागरुकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन लोक कलाकारों ने गीत-संगीत और नाटक के माध्यम से लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी तथा इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इसी प्रकार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबद्ध सुरभि कला मंच के लोक कलाकारों ने सुजानपुर उपमंडल के गांव चबूतरा और बगेहड़ा में जागरुकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

इन कार्यक्रमों में लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आवास योजना, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, प्राकृतिक खेती की फसलों और दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, ओपीएस, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, हिम गंगा योजना और प्रदेश सरकार की कई अन्य योजनाओं से भी अवगत करवाया गया।

उपनिदेशक ने ख्वाजा-बसाल और भलोह स्कूल का किया औचक निरीक्षण

ऊना। उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा ऊना सोम लाल धीमान ने गुरुवार को राजकीय प्राथमिक पाठशाला ख्वाजा बसाल, राजकीय प्राथमिक व माध्यमिक पाठशाला भलोह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपनिदेशक ने पाठशालाओं में साफ-सफाई, मीड-डे मील की व्यवस्थाओं सहित स्कूली कार्य प्रणाली को जांचा। इस दौरान उन्होंने स्कूली अध्यापकों से वार्तालाप कर उनकी समस्याओं को भी सुना। उपनिदेशक ने स्कूली अध्यापकों को बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने, मीड-डे मील कर्मियों को भोजन बनाते समय सिर पर टॉपी, मुंह पर मास्क, एपरिन और बच्चों को अच्छा व पौष्टिक आहार प्रदान करने के उचित दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पाठशालाओं के प्रमुखों को भी मिड-डे मील बनाते व बच्चों को परोसते समय स्वच्छता सुनिश्चित बनाना तथा पीने के पानी की टंकियों की साफ-सफाई सुनिश्चित बनाने के निर्देश भी दिए।

गीत-संगीत के माध्यम से कलाकारों ने ग्रामीणों को किया जागरूक

सोलन । सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्बद्ध कलाकारों द्वारा आज ज़िला सोलन के विभिन्न गांव में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ कार्यान्वित की जा रही योजनाओं व नशे के दुष्प्रभावों के विषय में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। पूजा कला मंच

बाड़ीधार के कलाकारों द्वारा सोलन विकास खण्ड की ग्राम पंचायत पट्टा बरौरी तथा ग्राम पंचायत हरिपुर के गांव प्राथा खुर्द में गीत-संगीत के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया।

ग्रामीणों को प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे मक्की और दूध की खरीद पर न्यूनतम समर्थन निर्धारित करना, व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर होता हिमाचल, मनरेगा दिहाड़ी में वृद्धि, विधवा पुनर्विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, डॉ. वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के बारे में जागरूक किया गया। हिम सांस्कृति दल के कलाकारों द्वारा कुनिहार विकास खण्ड की ग्राम पंचायत चाखड़ तथा पारनु में नुक्कड़-नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के बारे में जागरूक किया।

ग्रामीणों को अवगत करवाया गया कि विधवाओं और एकल नारियों को घर बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत निर्मित घरों में बिजली, पानी सहित समुचित सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। शिव शक्ति कला मंच के कलाकारों द्वारा विकास खण्ड कुनिहार की ग्राम पंचायत जाडला तथा मंडेसर में ग्रामीणों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत पट्टा बरौरी के प्रधान हरीश कुमार, ग्राम पंचायत पारनु के प्रधान केशव राम, ग्राम पंचायत जाडला के प्रधान अंजू भण्डारी, ग्राम पंचायत मंडेसर की प्रधान नीलम ठाकुर, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत पारनु के उप प्रधान खेमराम, ग्राम पंचायत पट्टा बरौरी के वार्ड सदस्य नेकराम, ग्राम पंचायत पारनु के वार्ड सदस्य विजय कुमार, प्रवीण, विजय देवी सहित ग्रामीण उपस्थित थे।

लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

सोलन। ई कार्यप्रणाली के माध्यम से सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने तथा न्यायिक विषयों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित बनाने के लिए आज यहां मुकदमा प्रबंधन प्रणाली (लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर) विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सोलन अखिल शर्मा ने मुकदमा प्रबंधन प्रणाली की व्यवहारिक जानकारी प्रदान की।

अखिल शर्मा ने कहा कि विभिन्न विभाग ज़िला, तहसील एवं अधिनस्थ न्यायालयों में अपने विभाग से सम्बन्धित मामलों की जानकारी वेबसाइट द्यद्वद्य.द्धश्च.द्दश्1.द्बठ्ठ पर प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी उक्त वेबसाइट पर लॉग ईन कर परिचय पेज पर जाकर सम्बन्धित विभाग के लम्बित मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग से सम्बन्धित मामलों के दस्तावेज उक्त वेबसाइट से अपने पास सुरक्षित रखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वेबसाइट के उपयोग से जहां समय व धन की बचत होगी वहीं एक क्लिक पर मामलों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि वेबसाइट के सम्बन्ध में किसी भी जानकारी के लिए सहायक प्रोग्रामर ममता (डी.आई.टी.) के मोबाइल नम्बर 70189-74471 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

उन्होंने सभी विभागों से आग्रह किया कि विभागों के न्यायालयों में चल रहे मामलों की जानकारी को डिजिटल करना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्य

सचिव द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिए गए है कि लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम (एल.एम.एस.) सॉफ्टवेयर का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित बनाए ताकि विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों का बेहतर प्रबंधन हो सके और समय तथा धन की बचत हो सके। प्रशिक्षण कार्यशाला में उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट सिद्धार्थ आचार्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्दी अशोक वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित रंजन तलवार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

महिलाओं के लिए विधान से समाधान के तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

सोलन । ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सोलन आकांक्षा डोगरा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) के टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है तथा नालसा ऐप के माध्यम से प्राधिकरण से संबंधित विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकता है। आकांक्षा डोगरा आज ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन द्वारा विकास खंड पट्टा की ग्राम पंचायत बारियां में नालसा के सहयोग से विधान से समाधान कार्यक्रम के तहत महिलाओं को अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए आयोजित एक दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता कर रही थीं। आकांक्षा डोगरा ने शिविर में उपस्थित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता, मध्यस्थता, लोक अदालत राज्य पीड़ित मुआवज़ा योजना व नालसा के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली में मध्यस्थ की भूमिका अहम है। मध्यस्थतों के माध्यम से लंबित मामलों के निपटारे की दिशा में बेहतर प्रयास किया जा सकता है। सभी न्यायालयों में मध्यस्थता केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों में मध्यस्थता करवाने के लिए प्रशिक्षित मध्यस्थतों की नियुक्ति की गई है। आम नागरिकों को मध्यस्थतों की सेवा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। आम नागरिक स्वेच्छा से अपने मामलों का निपटारा मध्यस्थतों के माध्यम से कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है जो जानबूझकर लगातार अभ्रद इशारे या शारीरिक बल द्वारा उस पर हमला करता है या उसका शील भंग करने प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों में विधि सम्मत कार्रवाई करने के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने कहा कि विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला व उपमंडल स्तर पर निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए तथा लोगों की समस्याओं के निदान के लिए व्यवस्था की गई है। सभी महिलाएं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग, जिनकी आय तीन लाख से कम हो, बाढ़ व प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोग, औद्योगिक श्रमिक और वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। अधिवक्ता शरद सिंह बाली ने इससे पूर्व महिलाओं को समानता का अधिकार, फैक्ट्री अधिनियम 1948 व दहेज प्रथा अधिनियम तथा अधिवक्ता अभित कौशल ने भरण पोषण अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। खंड विकास अधिकारी पट्टा कुलदीप सिंह ने विभाग द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की पुलिस विभाग से धनवीर सिंह ने महिला सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के बारे में जानकारी साझा की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत बारियां के उप प्रधान नेकराम ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और शिविर के आयोजन के लिए ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया। इस शिविर में पंचायत सदस्य सहित अन्य स्थानीय महिलाओं ने भाग लिया।